जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/परीक्षा-2/गोप./2021/1387 **दिनांक : 13.10.2021**

संशोधित पत्र

// अत्यावश्यक //

प्रति,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- ओपन बुक परीक्षा जून, 2021 के आपके महाविद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर परीक्षा संचालन शुल्क की राशि रू. 100/- की प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से अपने जिले के अग्रणी महाविद्यालय (Lead College) / उप-केन्द्र पर जमा कराने बावत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि परीक्षा संचालन शुल्क अग्रणी महाविद्यालय में जमा करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांकः जीविवि/परीक्षा-2/गोप./2021/1344 दिनांक : 01.10.2021 को निरस्त किया जाता है। इस संबंध में पुनः बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा ओपन बुक परीक्षा जून, 2021 सम्पन्न करायी गयी है। जिसका समस्त परीक्षा कार्य आपके जिले के अग्रणी महाविद्यालय (Lead College) / उप-केन्द्र द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय के समस्त ओपन बुक परीक्षा की छात्रसंख्या के आधार पर परीक्षा संचालन शुल्क की राशि रू. 100/- प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से अपने जिले के अग्रणी महाविद्यालय / उप-केन्द्र के प्राचार्य के नाम डी.डी. द्वारा दिनांक 30.10.2021 तक अनिवार्य रूप से जमा करायेंगे तथा शेष राशि रू. 88/- प्रति परीक्षार्थी की दर से महाविद्यालय स्वयं परीक्षा संचालन हेतु व्यय करेंगे। अग्रणी महाविद्यालय/उप-केन्द्र एवं महाविद्यालय व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

मार्च-अप्रैल, 2020 में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा, जून, 2020 में स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा एवं दिसम्बर, 2020 की समस्त परीक्षायें म.प्र. शासन के आदेशानुसार असाइनमेंट के आधार पर सम्पन्न हुई है। अतः इन समस्त परीक्षाओं का संचालन शुल्क रू. 188/- प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से कुल राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर समस्त महाविद्यालय दिनांक 30.10.2021 तक विश्वविद्यालय में जमा करायेंगे।

यदि निर्धारित तिथि तक परीक्षा संचालन शुल्क की राशि जमा नहीं करायी जाती है तो आपके महाविद्यालय के छात्रों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपके महाविद्यालय के प्राचार्य/संचालक की व्यक्तिगत होगी तथा ऐसे महाविद्यालय के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम 27, 28 के तहत कार्यवाही की जावेगी

शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा के साथ।

परीक्षा नियंत्रक